छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

–: अधिसूचना :–

रायपुर, दिनांक 07/07/2018

क्रमांक/5163/एफ–02/02/PMFBY/2018/14–2 :: भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2016 Credit II नई दिल्ली, दिनॉक 25.04.2018 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन एवं योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा–निर्देशों के प्रकाश में सक्षम अनुमोदन उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा खरीफ 2018 में प्रदेश में **''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना''** लागू करती है। योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है :–

1 अधिसूचित फसले एवं बीमा ईकाई :–

फसल		बीमा इकाई
मुख्य फसल	धान सिंचित, धान असिचिंत	ग्रामीण क्षेत्र में – ''ग्राम पंचायत'' एवं नगरी क्षेत्र में – ''ग्राम''
अन्य फसल	मक्का, सोयाबीन, मुंगफल्ली, तुअर (अरहर), मूंग, उड़द	

2 अधिसूचित क्षेत्र :–

बीमा ईकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसलों का न्यूनतम रकबा 15 हेक्टेयर होने पर ही उस फसल को अधिसूचित किया जाएगा। अधिसूचित जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, बीमा ईकाई (ग्राम पंचायत/ग्राम) में अधिसूचित फसल का विवरण **परिशिष्ट–1** में है।

3 शामिल किये जाने वाले कृषक :–

इस योजना में ऋणी कृषक (भूधारक व बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भूधारक व बटाईदार) शामिल हो सकते है।

(क) अनिवार्य आधार पर :–ऐसे सभी कृषक जिनका मौसम खरीफ वर्ष 2018 हेतु अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण की सीमा, कृषकों के बीमा आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि या उसके पूर्व स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग–अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा एवं इसकी सूचना संबंधित बैंक को देनी होगी।

(ख) स्वैच्छिक आधार पर :– अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने को इच्छुक हो, वे क्षेत्र बुआई पुष्टि प्रमाण–पत्र जो क्षेत्रीय पटवारी/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो तथा अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। किसान को सुनिश्चित करना होगा कि उसे कृषि योग्य भूमि पर कृषि किये जाने के लिए प्रस्तावित अधिसूचित फसल/फसलों के लिए एकल स्त्रोत से ही बीमा आच्छादन प्राप्त कर रहे है। दूसरे शब्दों में एक ही रकबे हेतु एक से अधिक बार बीमा कराने की अनुमति नहीं है। एक ही रकबा का दुगुना बीमा करने की स्थिति में बीमा कंपनी के पास ऐसे सभी दावों को निरस्त करने का अधिकार होगा और ऐसे कृषकों का प्रीमियम वापस किया जावेगा। 1

4 योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :–

मौसम खरीफ वर्ष 2018 में निविदा के आधार पर चयनित बीमा कंपनियों द्वारा निविदा में उल्लेखित दरो पर ही अधिसूचित क्षेत्रों में फसल बीमा का कार्य संपादन किया जायेगा।

कलस्टरवार बीमा कंपनियों को आबंटित जिलों की जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	कलस्टर संख्या	जिला	क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कंपनी
1	1	राजनांदगांव, रायपुर, सरगुजा, कोण्डागांव, नारायणपुर	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड
2	2	बेमेतरा, बलौदाबाजार, दुर्ग, बस्तर, कोरबा	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड
3	3	बालोद, कोरिया, महासमुंद, सुकमा, धमतरी	एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड
4	4	जशपुर, बलरामपुर, बीजापुर, मुंगेली, जांजगीर–चांपा, कबीरधाम	क्लस्टर–4 के निविदा प्रकिया के संबंध में प्रकरण मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचारधीन होने के कारण इस क्लस्टर में योजना के कियान्वयन हेतु अधिसूचना मान. न्यायालय के निर्णय उपरांत पृथक से जारी की जावेगी।
5	5	गरियाबंद, सूरजपुर, रायगढ़, कांकेर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड

5 जोखिमों की आच्छादन एवं अपवर्जन :–

(i) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्गदर्शिका में वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों, जो निम्नानुसार है, हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा –

(क) बाधित बोआई/रोपण जोखिम : बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बोआई/रोपण क्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ख) खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) : गैर बाधित जोखिमों यथा सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट व्याधि, भू–स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जायेगा।

(ग) फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान : यह बीमा आच्छादन ऐसी अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) के लिये चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा के मामले में दिया जायेगा, जिन्हे फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिये छोड़ा गया है।

(घ) स्थानीयकृत आपदाएं : अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषक भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू–स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ii) सामान्य अपवर्जन : युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावना–जनित क्षतिओं और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नही किया गया है।

6 बीमित राशि :–

ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि प्रत्येक जिले में अधिसूचित बीमा ईकाई के लिये फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर ऋणमानसीमा (Scale of Finance) के बराबर मान्य होगी (**परिशिष्ट–2**)। ऋण प्रदाय करने वाली संस्था ऋणी कृषक को ''बीमा प्रीमियम राशि'' अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी।

7 प्रीमियम की गणना एवं अनुदान :–

फसल धान सिंचित, धान असिचिंत, मक्का, मुंगफल्ली, सोयाबीन, तुअर (अरहर), मूंग एवं उड़द हेतु कृषक द्वारा अधिकतम देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो वहन किया जायेगा। शेष प्रीमियम की राशि 50–50% के अनुपात में क्रमशः केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में देय होगी। अधिसूचित बीमा ईकाई हेतु कलस्टरवार/जिलेवार/फसलवार प्रीमियम राशि का विवरण **परिशिष्ट–2** पर है।

8 क्षति स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज :–

राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार धान सिचिंत फसल में 90% तथा धान असिचिंत, मक्का, मुंगफल्ली, सोयाबीन, तुअर (अरहर), मूंग एवं उड़द फसल हेतु 80% क्षति स्तर निर्धारित किया गया है।

विगत 7 वर्षों में से सबसे अधिक आपदा प्रभावित वर्ष 2015 एवं 2017 को छोड़कर शेष 5 वर्षो यथा 2011, 2012, 2013, 2014 एवं 2016 के उपज आंकड़ों के आधार पर थ्रेसहोल्ड उपज की गणना की गई है। जिलेवार/बीमा ईकाईवार/फसलवार थ्रेसहोल्ड उपज की जानकारी **परिशिष्ट–1** पर है। यदि किसी अधिसूचित बीमा ईकाई में थ्रेसहोल्ड उपज की जानकारी दर्ज ना हो, तो उक्त अधिसूचित बीमा ईकाई के निकटतम ईकाई के उपज के आंकडे उपयोग किये जावेंगे एवं निकटतम ईकाई के उपज आंकडे उपलब्ध ना हो, तो उपरी ईकाई के उपज आंकडों का उपयोग कर दावा गणना की जावेगी।

9 विभिन्न गतिविधियों हेतु समय–सीमा एवं संबंधित अभिकरणों द्वारा कार्यवाही का निर्धारण :–

क्र.सं.	गतिविधि	समय–सीमा
1	फसल बीमा पोर्टल पर सभी अपेक्षित सूचना/डाटा की प्रविष्ठि	अधिसूचना जारी होने से एक सप्ताह के भीतर **(कार्यवाहीः कृषि विभाग एवं बीमा कंपनी)**
2	ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन हेतु ऋण की अवधि (संस्वीकृत/नवीनीकृत ऋण)	खरीफ मौसम 2018 हेतु 31 जुलाई या उसके पूर्व स्वीकृत/नवीनीकृत ऋण **(कार्यवाहीः बैंक/वित्तीय संस्थाएं)**
3	कृषकों (ऋणी एवं अऋणी) से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने/खाते से प्रीमियम राशि प्राप्ति की अंतिम तिथि	31 जुलाई **(कार्यवाहीः वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी एवं सी.एस.सी.)**
4	पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक, बैंक शाखाओं (सीबी/आरआरबी), ऋणी एवं अऋणी कृषकों की समेकित घोषणाओं/प्रस्तावों का बीमा कंपनियों को प्राप्त होने के अंतिम तिथि	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऋणी कृषको के लिए 15 दिन के अंदर और अऋणी कृषको के लिए 7 दिन के अंदर **(कार्यवाहीः बैंक/वित्तीय संस्थाएं एवं बीमा कंपनी)**
5	नामित बीमा एजेंटो/मध्यस्थों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बीमित किए गये किसानों के घोषणा पत्र बीमा कंपनियों को प्राप्त होने की अंतिम तिथि	घोषणा/प्रीमियम प्राप्ति के 7 दिन के भीतर **(कार्यवाही : सीएससी एवं बीमा कंपनी)**
6	संबंधित डीसीसीबी/नोडल बैंकों (सहकारी संस्थाओं के लिए) द्वारा अऋणी एवं ऋणी कृषकों के प्रस्तावों को बीमा कंपनी को प्रेषित करने की अंतिम तिथि	संबंधित नोडल बैंक कार्यालयों द्वारा घोषणाओं की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर **(कार्यवाही : बैंक/वित्तीय संस्थाएं एवं बीमा कंपनी)**

क्र.सं.	गतिविधि	समय–सीमा
7	वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी/पैक्स/मध्यस्थों द्वारा वैयक्तिक बीमाकृत कृषकों के ब्यौरों को फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करना।	कृषकों से प्रीमियम प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर **(कार्यवाहीः बैंक/वित्तीय संस्था, सीएससी एवं बीमा कंपनी)**
8	बीमा आच्छादन प्राप्त कृषकों की जानकारी	प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार तक **(कार्यवाहीः बैंक/वित्तीय संस्थाएं एवं बीमा कंपनी/संचालनालय कृषि)**
9	अग्रमि राज्यांश राशि के भुगतान हेतु बीमा कंपनियों द्वारा बीमा आवरण के आंकड़े प्रदाय करने की अंतिम तिथि	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से एक माह के भीतर (निर्धारित प्रपत्र में)। **(कार्यवाही : बीमा कंपनी)**
10	अंतिम राज्यांश राशि के भुगतान हेतु बीमा कंपनियों द्वारा बीमा आवरण के अंतिम आंकड़ प्रदाय करने की अंतिम तिथि	फसल कटाई प्रारंभ करने के पूर्व अर्थात 1 अक्टूबर तक अंतिम आंकड़े शासन को उपलब्ध कराया जावेगा (निर्धारित प्रपत्र में)। **(कार्यवाही : बीमा कंपनी)**
11	भू–अभिलेख द्वारा फसल कटाई प्रयोग हेतु रेण्डर नंबर के आधार पर चयनित कृषक की जानकारी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	सितम्बर के प्रथम सप्ताह के भीतर **(कार्यवाहीः संचालक भू–अभिलेख/कृषि)**
12	भू–अभिलेख द्वारा अधिसूचित फसलों के बीमा इकाईवार क्षेत्राच्छादन क जानकारी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	बुआई अवधि से लेकर 2 माह के भीतर **(कार्यवाही : संचालक, भू–अभिलेख)**
13	भू–अभिलेख द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोग के औसत उपज आंकड़ों की जानकारी संचालनालय कृषि को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	संबंधित फसल की अंतिम कटाई तिथि के 20 दिवस की भीतर **(कार्यवाही : संचालक, भू–अभिलेख)**
14	संचालक कृषि द्वारा फसल कटाई के बाद बीमा कंपनी को उत्पादन आंकडे प्रदाय करने की अंतिम तिथि	संबंधित फसल की निर्धारित अंतिम फसल कटाई तिथि से 1 माह के भीतर **(कार्यवाहीः संचालक कृषि)**
15	उपज आंकड़ों में भिन्नता/विसंगति के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा आपत्ति दर्ज करने की समय–सीमा	उपज आंकड़े प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर **(कार्यवाहीः बीमा कंपनी)**
16	उपज आंकड़ों पर आधारित अंतिम बीमा दावा का संसाधन, अनुमोदन और भुगतान	उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर **(कार्यवाहीः संचालक भू–अभिलेख/कृषि एवं बीमा कंपनी)**

टीपः– उपरोक्त समय–सीमा/प्रक्रियाओं/कार्यवाहियों का पालन करने में किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा अंतिम तिथि के उपरांत जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्था की होगी एवं प्रभावित कृषक/कृषकों को योजनांतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी होगी।

10 वित्तीय संस्थाएँ समस्त ऋणी तथा अऋणी आच्छादित कृषकों की राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल अधारित सूची जिसमें–कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, खसरा संख्या, कृषक श्रेणी–लघु एवं सीमांत/अन्य, महिला/पुरुष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य, आच्छादित रकबा, बीमित राशि कृषक द्वारा देय प्रीमियम का विवरण एवं अन्य जानकारी निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कम्पनी को उपलब्ध करायेगी तथा

कृषकवार विवरण फसल बीमा पोर्टल पर बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर अपलोड करेंगी। राज्य सरकार, बीमा कार्यान्वयक अभिकरण, बैंक/वित्तीय संस्थाएं उनसे संबंधित जानकारियों एवं आंकड़ों को भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल–"**www.pmfby.gov.in**" में निर्धारित समय सीमा पर इन्द्राज करेगी।

11 बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र :–

सभी संबंधित सहकारी बैकों/वाणिज्यिक बैकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों द्वारा बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र की दो प्रति तैयार कर एक प्रति बीमा कंपनी को तथा एक प्रति संबंधित कृषक को अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे।

12 दावा गणना :–

दावा गणना आयुक्त, भू–अभिलेख, छ.ग. द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए निर्धारित अनिवार्य संख्या में किये गये फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज के आकड़ो से की जायेगी। शासन या अन्य विभाग/संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़ अकाल क्षेत्र घोषित किये जाने पर बीमा दावा देय नहीं होगा। अधिसूचित बीमा इकाई ग्राम पंचायत/ग्राम में मुख्य अधिसूचित फसल हेतु 04 एवं अन्य फसलों हेतु 08 फसल कटाई प्रयोग किये जाने होंगे। राज्य शासन को यह अधिकार रहेगा कि विभिन्न कारणों से निर्धारित समय–सीमा से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य अथवा अन्य फसलों के निर्धारित फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जाना संभव नहीं हो सके तो अधिसूचित इकाई से उच्चतर इकाई (पटवारी हल्का/राजस्व निरीक्षक मंडल) में योजना प्रावधान अनुसार निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जा सकेंगे अथवा उच्चतर इकाई अथवा निकटस्थ बीमा ईकाई के औसत उपज आंकड़े दावा गणना हेतु मान्य होंगे।

13 क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया :–

योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल की क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण जिला एवं तहसील स्तर पर गठित संयुक्त समिति द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा–

(क) बुआई नहीं हो पाने/निष्फल होने/रोपण बाधित होने की स्थिति में :–

यह आवरण केवल मुख्य फसल धान सिचिंत एवं धान असिचिंत के लिए ही लागू होगा। फसल बोआई अवधि के दौरान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य विपरीत मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित मुख्य फसल की 75% से अधिक बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति में बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को भुगतान किया जा सकेगा। इस घटक के अंतर्गत फसल धान सिचिंत एवं धान असिचिंत की बुआई की अंतिम समय–सीमा माह अगस्त के अंत तक होगी। उपरोक्त समयावधि में यदि किसी अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित प्रमुख फसल के बोवाई किये जाने वाले क्षेत्रफल में से 75% से अधिक क्षेत्रफल में बोवाई नहीं होती है ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े तथा प्रदेश में फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेंसी राजस्व विभाग (भू–अभिलेख) के आंकड़ों को आधार माना जायेगा।

इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के पात्र वे कृषक ही होगें जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हो अथवा उन्हें स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हों। जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी के अनुसार संचालनालय कृषि के प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी की जायेगी। अधिसूचित क्षेत्र के बीमित कृषकों को अधिकतम 25% तक दावा भुगतान किया जावेगा। इस खण्ड के अधीन

क्षतिपूर्ति देय होने के पश्चात बीमा आच्छादन को समाप्त माना जावेगा और प्रभावित बीमा इकाई/फसल मौसम के अंत में क्षेत्र उपज अधारित संगणित दावों के पात्र नहीं होंगे और न ही इन क्षेत्रों में प्रभावित अधिसूचित फसलों के लिये कोई नया पंजीयन किया जावेगा।

(ख) **मौसम प्रतिकूलताओं के कारण फसल की मध्यावधि (बुआई से कटाई की समयावधि) में नुकसान होने की स्थिति में** :–फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट व्याधि, भू–स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं एवं आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर एवं बवंडर के कारण प्रभावित फसल की अनुमानित उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से 50% से कम आना संभावित हो तो संभावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा का भुगतान क्रॉप कैलेण्डर में उल्लेखित फसल कटाई समय सीमा के अंतराल में किया जाना होगा। यह क्षतिपूर्ति भुगतान की राशि अंतिम उपज आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायेगी। यदि उक्त स्थिति अधिसूचना की परिशिष्ट– 3 (क्रॉप कैलेण्डर) में फसलवार उल्लेखित सामान्य फसल कटाई प्रारंभ होने के 15 दिनों के पूर्व होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी।

इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी द्वारा प्रेषित फसल अवस्था आंकड़े को आधार माना जाएगा। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों के विवरणों पर भी विचार किया जावेगा। इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के पात्र वे कृषक ही होगें जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हो अथवा उनके स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हो। राज्य शासन द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 07 दिवस के भीतर प्रभावित इकाईयों की सूची एवं विवरण तथा इन्हें इस घटक के अंतर्गत पात्रता होने संबंधी आदेश पारित किया जायेगा तथा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 15 दिवस के भीतर क्षति का आंकलन कर प्रतिवेदन दिया जायेगा जिसके आधार पर बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति देय होगी।

(ग) **स्थानीय आपदाओं की स्थिति में** :–स्थानीय जोखिमों यथा– ओलावृष्टि, भूस्खलन एवं जलप्लावन से अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित कृषक को क्षति पूर्ति दिये जाने का प्रावधान है। यदि किसी प्रभावित इकाई में 25% से ज्यादा हानि होती है तो संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल जांच कर उस इकाई में सभी बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होगी। कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे टोल फ्री नंबर पर या लिखित रूप से बीमा कंपनी अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थाएँ अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in में निर्धारित समय–सीमा 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे।

हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाएगा। जिला विकासखण्ड स्तरीय कृषि/राजस्व विभाग के अधिकारी फसल क्षति का अनुमान लगाने में कियान्वयक बीमा कंपनी को उपयुक्त सहायता करेगें। इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता प्रभावित क्षेत्र में आपदा घटित होने तक फसल की लागत के अनुपात में होगी। यदि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र में दावा भुगतान स्थानीय क्षति–पूर्ति से अधिक निर्धारित होता है, तो दोनों में से जो भी दावा अधिक होगा, बीमित कृषक को देय होगा।

(घ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में** :– फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई अधिसूचित फसल को प्राकृतिक आपदा यथा चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा से 25% से अधिक अधिसूचित क्षेत्र में फसलों को क्षति होती है तो ऐसी अवस्था में सेम्पल जांचकर सभी बीमित कृषकों को क्षति का भुगतान किया जावेगा। यदि 25% से कम अधिसूचित क्षेत्र में हानि होती है तो उन सभी प्रभावित बीमित कृषकों के नुकसान की जांच कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता घोषित की जायेगी जो कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे/टोल फ्री नंबर या लिखित रूप में अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों/संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थाएँ अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in में निर्धारित समय–सीमा 48 घंटे के भीतर लिखित रूप से बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्राप कैलेण्डर (**परिशिष्ट–3**) में अंकित फसल कटाई की निर्धारित अंतिम तिथि से यदि कटी हुई अधिसूचित फसल, अधिकतम 14 दिनों तक सूखने के लिए खेत में ''कटी और फैली हुई स्थिति में'' रखी जाती है तो इसी अवधि तक के लिए ही उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति का आंकलन किया जाएगा।

फसल क्षति संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी क्षति का आंकलन के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाएगा। विकासखंड/जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति एवं संयुक्त समिति के सदस्यों एवं कृषक फसल क्षति का अनुमान लगाने में क्रियान्वयन बीमा कंपनी की उपयुक्त सहायता करेंगे। सांकेतिक सूचनाओं स्थानीय मिडिया रिर्पोटों, कृषि/राजस्व विभाग के रिपोर्टों को क्षति का आधार बनाया जाएगा।

(ङ) **फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में** :–राज्य शासन फसल उत्पादन आंकलन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई में मुख्य फसल के लिए 04 प्रयोग तथा अन्य फसलों में 08 फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार के मोबाईल एप "CCE Agri App" के माध्यम से संपादित करेगी। इस फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर क्षति की गणना की जायेगी।

$$\text{देय क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

छ.ग. शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु किये जा रहे फसल कटाई प्रयोग के परिणाम (अनावारी, सूखाग्रस्त घोषित करने, आदि के उद्देश्य से पृथक से क्रियान्वित किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग) इस योजनान्तर्गत दावा भुगतान की गणना में मान्य नहीं होंगे। योजना के अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग की श्रृंखला का ही उपयोग फसल बीमा की गणना के साथ ही फसल उत्पादकता के आंकड़े प्राप्त करने में भी किया जायेगा।

14. योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु संयुक्त समिति का गठन :–

योजनानुसार फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण, स्थानीय आपदाओं की स्थिति में क्षति का निर्धारण एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति आंकलन हेतु शासन द्वारा योजनांतर्गत गठित जिला एवं तहसील स्तरीय संयुक्त समिति ही अधिकृत होगी।

15. मौसम केन्द्रों की जानकारी :–

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के तहसील/विकासखंडों में वर्षामापी यंत्र स्थापित है जिसके दैनिक वर्षा के आंकड़े नियमित प्राप्त होते है। योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु इन आंकड़ों को मान्य किया जावे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग वर्षामापी यंत्र बंद या खराब होने की स्थिति में जिले में केन्द्रीय मौसम विज्ञान विभाग अथवा इं.गां.कृ.वि.वि के मौसम विभाग द्वारा स्थापित वर्षामापी यंत्र के आंकड़े स्वीकार किये जायेगें।

16. बीमित फसल में परिवर्तन/बदलाव का विकल्पः–

कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के लिए ऐच्छिक आधार पर लिये गये बीमा आवरण में फसल के नाम बदलाव की ईच्छा होने पर ऐसा किया जा सकता है, बशर्ते पूर्व नियोजित फसल बदले जाने की स्थिति में किसान को उसकी सूचना वित्तीय संस्थान/चैनल भागीदार/बीमा मध्यस्थ को लिखित रूप में बोनी प्रमाण पत्र (जो बीमा इकाई स्तर पर अधिकृत राजस्व कर्मचारी (राजस्व पटवारी) अथवा इससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा अन्य फसल की बोनी करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र हो) के साथ यदि कोई प्रीमियम में देय धनराशि की भिन्नता अंकित करते हुए बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से कम से कम 1 सप्ताह पूर्व देनी होगी। पहले दिया हुआ प्रीमियम अधिक होने की स्थिति में, बीमा कंपनी अतिरिक्त प्रीमियम को वापस करेगी। यह विकल्प केवल उन्हीं कृषकों को होगा, जिन्होने फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा कर दी है।

इसी प्रकार ऋणी किसान ऋण आवेदन में प्रस्तुत मूल फसलों से बीमाकृत फसल के नाम को बदल सकते है। तथापि ऐसे परिवर्तनों हेतु अभ्यावेदन बीमा आवेदन की अंतिम तिथि (31 जुलाई 2018) से कम से कम 30 दिनों के पूर्व (01 जुलाई 2018) संबंधित बैंक शाखा में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रस्तावित फसलों को बीमाकृत किया जा सके। बुआई प्रमाण–पत्र को जमा किए बिना अधिसूचित फसलों को गैर अधिसूचित फसलों में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अंतिम तारीख में अधिसूचित फसलों के लिए संस्वीकृत सभी मानक ऋण अनिवार्य रूप से आच्छादन किए जाएं।

17. बीमा दावा भुगतान को कृषकों के खाते में समायोजन करने की समय–सीमा :–

(क) बुआई नहीं हो पाने/बुवाई विफल होने की स्थिति में :–कियान्वयक बीमा कंपनी को राज्य शासन द्वारा अग्रिम राज्यांश प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में, राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना/आदेश पारित होने की तिथि के 30 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में जमा कराई जाएगी।

(ख) फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में :–कियान्वयक बीमा कंपनी को राज्य शासन से अग्रिम राज्यांश प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में, राज्य शासन द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी पारित आदेश **के 01 माह के भीतर** कृषकों के खाते में समायोजित की जायेगी।

(ग) स्थानीय आपदाओं के मामले में :–संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में अंतरित की जायेगी (राज्य शासन से अग्रिम प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में)।

(घ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में** :–संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जावेगी (राज्य शासन से अग्रिम राज्यांश प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में)।

(ड़) **फसल उत्पादन के आधार पर व्यापक क्षतिपूर्ति** :–बीमा कंपनी द्वारा संबंधित फसल के उपज आंकडे प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर देय दावा भुगतान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था को प्रदान की जावेगी तथा वित्तीय संस्था द्वारा एक सप्ताह के अंदर धनराशि पात्र कृषकों के खाते में समायोजित कर 15 दिन के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत करेगी।

18. **क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा हानि निर्धारकों (Loss Assessor) की नियुक्ति** :–चयनित बीमा कंपनी द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न क्षति जिनका विवरण बिन्दु क्रमांक–13 में दिया गया है, हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले क्षति निर्धारकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से की जायेगी तथा इसकी सूचना संचालनालय कृषि को दी जायेगी।

19. **बैंक कमीशन एवं शुल्क** :– क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए योजनांतर्गत निर्धारित दर कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का 4 प्रतिशत खरीफ मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जावेगा।

20 बीमा कंपनी द्वारा बैंको से प्राप्त सभी घोषणा पत्र/प्रीमियम राशि की पावती संबंधित बैंक शाखाओं को उपलब्ध कराई जाएगी एवं किसी भी त्रुटि/अंतर/विसंगति अवलोकित होने पर इसकी सूचना संबंधित बैंक को तत्काल दिया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा वित्तीय संस्था से उक्त विसंगतियों के निराकरण हेतु दस्तावेज/जानकारी अधिकतम 05 सितंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे। यदि वित्तीय संस्था द्वारा नियत समय–सीमा में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा संबंधित प्रीमियम राशि तीन सप्ताह के भीतर बैंकों को अनिवार्य रूप से वापस किया जाना होगा, अन्यथा कृषकों को नियमानुसार दावा प्रतिपूर्ति का सम्पूर्ण दायित्व बीमा कंपनी की होगी।

21 भारत सरकार द्वारा योजना कियान्वयन की जारी दिशा–निर्देश, इनमें विभिन्न कार्यो हेतु अंकित समय–सीमा, कार्य की पद्धति, ऑनलाईन की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व कियान्वयन बीमा कंपनी, वित्तीय संस्था एवं संचालनालय कृषि का होगा तथा इस हेतु पृथक से आदेश जारी नही किये जायेंगें।

22 योजनांतर्गत गठित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त समिति द्वारा नियमित रूप से इस योजना के संचालन की पाक्षिक समीक्षा बैठक कर कार्यवाही विवरण/प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन एवं संचालनालय कृषि को उपलब्ध कराया जायेगा।

23 कियान्वयक बीमा कंपनी को राज्य स्तरीय कार्यालय के अतिरिक्त उनको आबंटित जिलों में मुख्यालय एवं प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर कियाशील कार्यालय स्थापित किया जाना होगा। उनके द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में एक एजेंट भी नियुक्त किया जावेगा। बीमा कंपनी द्वारा संबंधित जिला उपसंचालक कृषि/DLMC से अभिस्वीकृति प्राप्त कर इसकी विधिवत सूचना 31 जुलाई पूर्व राज्य शासन संबंधित संस्थाओं तथा संचालनालय कृषि को अनिवार्य रूप से देना होगा।

24 कियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा पूर्ण परीक्षण एवं कंपनी के चार्टेड एकाउंटेट के सत्यापन उपरांत अंतिम प्रीमियम अनुदान की मांग हेतु प्रस्ताव संचालक कृषि को प्रस्तुत किया जावेगा। राज्यांश की मांग के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि, प्रस्तुत की जा रही मांग संबंधित मौसम के अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिए निर्धारित प्रीमियम दर पर प्रस्तुत की जा रही है। बीमा कंपनी से प्राप्त प्रस्ताव को संचालनालय कृषि स्तर पर विस्तृत परीक्षण उपरांत राज्यांश राशि के भुगतान हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

25 क्रियान्वय बीमा कंपनी द्वारा बीमा आवरण में सम्मिलित कृषक एवं लाभार्थी कृषकों की अंतिम जानकारी संचालनालय कृषि को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित समयावधि में उक्त जानकारी उपलब्ध न कराने पर बीमा कंपनी पर मौसमवार 5.00 लाख रू. राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा, जो अंतिम प्रीमियम अनुदान के समय समायोजन योग्य होगा।

26 वास्तविक उपज के आंकड़ों के आधार पर प्रस्तावित बीमा दावा राशि की जानकारी संचालनालय कृषि, छ.ग. को प्रस्तुत करने के उपरांत बीमा कंपनी को प्रीमियम अनुदान (राज्यांश) की अंतिम किस्त का भुगतान किया जावेगा।

27 योजना के प्रति कृषकों में जागरूता उत्पन्न करने के लिये विभाग/संस्था/बीमा कंपनी/अन्य अभिकरणों को प्रचार–प्रसार करना होगा (परिशिष्ट–4)। प्रचार–प्रसार में बीमा कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार संचालनालय कृषि द्वारा जिलावार/संस्थावार कार्ययोजना तैयार किया जाएगा। उक्त कार्ययोजना के अनुसार प्रचार प्रसार की जावेगी। बीमा कंपनियों द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु व्यय की गई राशि एवं उपयोग किये गये प्रसार माध्यमों की मासिक जानकारी संचालक कृषि को उपलब्ध कराया जाएगा।

28 बीमा कंपनी द्वारा दावा भुगतान की राशि बैंक को अंतरित किये जाने के तिथि से 1 सप्ताह के भीतर बैक/वित्तीय संस्थाएँ द्वारा दावा राशि संबंधित लाभार्थी कृषकों के खाते में अंतरित कर कृषकवार सूची को शाखा/समिति के सूचना पटल में अभिप्रदर्शित की जाएगी और उसकी एक प्रति बीमा ईकाई के अध्यक्ष/सरपंच/प्रधान को उपलब्ध कराई जाएगी तथा लाभांवित कृषक के मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से इसकी सूचना देना होगा।

29 बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषक संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थाएँ की गलतियों/चूकों/त्रुटियों के कारण योजना के तहत किसी भी लाभ से वंचित न हों, ऐसी त्रुटियों के मामले में संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थाए सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई करेंगे।

30 बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा बीमा कंपनी से प्राप्त दावा राशि को 7 दिवस के अंदर संबंधित कृषक/हितग्राही के खाते में अंतिरित किया जाना होगा। यदि बैंक शाखाएं/नोडल बैंक दावा राशि को परिभाषित समय से ज्यादा रखते हैं तो उनका दायित्व होगा कि वे किसानों को विलंबित अवधि के लिये ब्याज (बचत खाते में प्रचलित ब्याज दर पर) की अदायगी करेंगे।

31 अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित बीमा इकाई में योजनांतर्गत फसल क्षति आंकलन के लिए आयुक्त भू–अभिलेख, (नोडल कार्यालय, फसल कटाई प्रयोग) द्वारा शत्–प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग का आयोजन मोबाईल एप (CCE Agri App) के माध्यम से सुनिश्चित की जावेगी। किन्हीं कारणों से मोबाईल एप्प के माध्यम से फसल कटाई न हो पाने पर प्रपत्र 2 के आधार पर बीमा इकाईवार आंकलित औसत उपज का उपयोग दावा गणना में की जावेगी।

32 बीमा कंपनियों को फसल कटाई प्रयोगों का शत् प्रतिशत सह–निरीक्षण करने का अधिकार होगा। बीमा कंपनी को फसल कटाई प्रयोग के समय प्रयोगकर्ता अधिकारी से अभिप्रमाणित प्रपत्र–2 जिसमें कंपनी के प्रतिनिधि भी अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किये हो, प्राप्त करना होगा। नोडल विभाग द्वारा पृथक से प्रपत्र–2 प्रदायित नहीं किए जाएगें।

33 बीमा कंपनी द्वारा यदि प्रत्यक्ष उपज आंकलन के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है तो इस हेतु राज्य शासन की सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी, अन्यथा उनके द्वारा इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रदायित उपज आंकड़ों में आपत्ति दर्ज करने पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

34 विवादित प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाने की स्थिति में वाद, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जिला न्यायलय के अधीन होगा।

35 निर्धारित समयावधि के पश्चात् कृषकों का दावा भुगतान करने पर बीमा कंपनी अर्थदण्ड के रूप में राज्य शासन को दावा भुगतान राशि के अतिरिक्त राशि रूपये 5000/– प्रति प्रकरण भुगतान करेगी।

36 संचालक कृषि द्वारा क्रियान्वयक बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराये गये उपज आंकड़ों के अनुसार ही दावा का आंकलन कर अंतिम दावा भुगतान किया जाएगा। किसी भी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।

37 भारत सरकार स्तर से कियान्वयन अभिकरण को De-Empanelled किया जाता है तो तदानुसार कियान्वयन अभिकरण के चयन को निरस्त किया जा सकता है।

38 योजना मार्गदर्शिका/निविदा शर्तो/इस अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों का पालन न करने पर बीमा कंपनी को काली सूची में डालने का अधिकार राज्य शासन को होगा।

39 भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के मार्गदर्शिका में संशोधन किये जाने पर तद्नुसार अधिसूचना में संधोधन किया जा सकता है।

40 इस अधिसूचना में जिन नियमों का उल्लेख नहीं है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शिका में किये गये प्रावधानों एवं निविदा शर्तों के अनुरुप सभी के लिए बंधनकारी होगा।

41 यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी मानी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

27/3/18
(के.सी.पैकरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र. / 5164 / एफ–02 / 02 / PMFBY / 2018 / 14–2 रायपुर दिनांक 07 / 07 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, कृषि, पशुधन विकास, मत्स्यपालन, जल संसाधन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
5. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
6. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त / राजस्व एवं आपदा प्रबंधन / सहकारिता / कृषि विभाग, छ.ग. शासन।
7. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छ.ग. रायपुर।
8. संचालक, संस्थागत वित्त / कृषि / उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी / भू–अभिलेख / आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग / जनसम्पर्क विभाग, छ.ग. रायपुर।
9. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, बैरन बाजार, रायपुर।
10. महानिदेशक, छ.ग. राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, रायपुर।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) रायपुर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
12. निदेशक, केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, लालपुर, रायपुर।
13. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक, रायपुर।
14. कलेक्टर, जिला–....., को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग–रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर / सरगुजा।
16. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
17. महाप्रबंधक, छ.ग. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायपुर।
18. क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर।
19. उप संचालक कृषि, जिला–..... को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
20. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंडरी रायपुर।
21. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि., रायपुर।
22. क्षेत्रीय प्रबंधक, बजाज एलांयज जनरल इंश्योरेंस कं. लि., रायपुर।
23. क्षेत्रीय प्रबंधक, एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कं. लि., रायपुर।

7/7/18

(के. सी. पैकरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग